

मध्यप्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं आवास विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक-एफ-3/147/32/2011  
प्रति,

भोपाल, दिनांक /02/2018

उप नियंत्रक  
शासन केन्द्रीय मुद्रणालय  
भोपाल ।

विषय :- नागदा विकास योजना (प्रारूप) 2021 का प्रारूप प्रकाशन ।

उपरोक्त विषय में नगरीय विकास एवं आवास की हिन्दी की अधिसूचना दिनांक 02/02/2018 एवं सामान्य प्रशासन विभाग से असाधारण राजपत्र की अनुमति दिनांक 02/02/2018 की प्रति संलग्न है । कृपया उक्त अधिसूचना को असाधारण राजपत्र में दिनांक 02/02/2018 को प्रकाशित कर प्रकाशित राजपत्र की 10 प्रतियाँ विभागीय उपयोग हेतु भिजवाने का कष्ट करें ।  
संलग्न : यथोपरि

( सुप्रिया पेंडके )  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं आवास विभाग  
भोपाल, दिनांक 2 /02/2018

पृ0क्रमांक-एफ-3/147/32/2011  
प्रतिलिपि:-

संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की और अग्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त विकास योजना की अधिसूचना को संचालनालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें ।

*Suprat*  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

संचालनालय  
नगर तथा ग्राम निवेश  
आंक क्र. 1674  
दिनांक 03/2/18  
शाखा  
संपु. संचा. (स्था.) संचालक

*ALTO  
ADRY*

*Asap*

*3/2  
42*

*2/2/18*

मध्यप्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं आवास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

//सूचना//

भोपाल दिनांक 02-2-18

क्रमांक-एफ-3/147/2011/32 :: एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973, (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रस्तुत नागदा निवेश क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना 2021 में राज्य शासन द्वारा अधिनियम की धारा- 19 (2) के अंतर्गत उपांतरण करने संबंधी जारी समसंख्यक सूचना दिनांक 11/07/2017 के निरन्तर में पुनः धारा- 19 (2) के अंतर्गत निम्नानुसार उपांतरण करने का निर्णय लिया गया है। अतः मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा-19 उपधारा-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण सूचना के माध्यम से दिनांक 02/02/2018 को प्रकाशित किया जा रहा है। उपांतरणों का विस्तृत विवरण बेबसाईट [www.mptownplan.nic.in](http://www.mptownplan.nic.in) पर उपलब्ध है तथा जिसका निम्नलिखित कार्यालयों समय में अवकाश के दिन छोड़कर सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस तक की कालावधि में निरीक्षण किया जा सकेगा -

- (1) अवर सचिव, मध्यप्रदेश ,नगरीय विकास एवं आवास विभाग, कक्ष क्रमांक-302 बी, तृतीय तल, मंत्रालय, भोपाल,
- (2) संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय उज्जैन।

1. उपांतरण का विवरण:-

प्रारूप विकास योजना नागदा 2021 की पुस्तिका में विकास योजना रंगीन मानचित्र, कंडिका 4.13 (2), कंडिका 5.5 (2), कंडिका 6.14 (6) एवं सारणी क्रमांक 6-सा-15 में संशोधन कर उपांतरण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तावित उपांतरण संबंधी विस्तृत विवरण का अवलोकन बेबसाईड [www.mptownplan.nic.in](http://www.mptownplan.nic.in) पर किया जा सकता है।

उक्त उपांतरण विवरण के संबंध में यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल के कार्यालय में लिखित रूप से सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस की कालावधि में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। समयावधि में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया जा सकेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(सी.के.साधव)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मध्य प्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं आवास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

// सूचना //

भोपाल, दिनांक ०२/०२/२०१८

क्रमांक-एफ-३/१४७/२०११/३२ :: एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम १९७३, (क्रमांक २३ सन् १९७३ ) की धारा १८ की उपधारा (३) के अधीन आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रस्तुत नागदा निवेश क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना २०२१ में राज्य शासन द्वारा अधिनियम की धारा- १९ (२) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपांतरण करने संबंधी जारी समसंख्यक सूचना दिनांक ११/०७/२०१७ के निरन्तर में पुनः धारा- १९ (२) के अंतर्गत निम्नानुसार उपांतरण करने का निर्णय लिया गया है :-

अधिसूचना में वर्णित प्रस्ताव

अ. भूमि उपयोग में उपांतरण का विवरण:-

१. नागदा विकास योजना प्रारूप २०२१ रंगीन मानचित्र में चंबल नदी के किनारे दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पश्चिम के मध्य ग्रेसिंग तालाब से खाचरौद मार्ग के मध्य प्रस्तावित ३०.० मीटर चौड़े रिंग रोड को विलोपित करते हुए उक्त रिंग रोड को ग्रेसिंग तालाब के सामने से चंबल नदी तक प्रस्तावित किया जाता है।
२. मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा दक्षिण-पूर्व दिशा से उत्तर-पश्चिम दिशा में विकास योजना में प्रस्तावित बायपास मार्ग के लिये अन्य रेखांकन के आधार पर बायपास मार्ग का विकास किया जा चुका है। अतः उक्त विकसित बायपास मार्ग रेखांकन के आधार पर विकास योजना में प्रस्तावित बायपास मार्ग का रेखांकन परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है। मार्ग के रेखांकन के प्रस्तावित परिवर्तन के कारण अन्य नगरीय उपयोगों में होने वाले आंशिक परिवर्तनों को भी उपांतरण में सम्मिलित किया गया है।

ब. अन्य उपांतरणों का विवरण :-

१. कंडिका ४.१३ (२) के अंत में निम्नानुसार वाक्त अन्तःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-  
तालाबो के फुल टैंक लेवल (FTL) से ३०.० मीटर भूमि आमोद-प्रमोद के अंतर्गत हरित क्षेत्र हेतु प्रस्तावित की जाती है।
२. कंडिका क्रमांक २:- मुख्य मार्ग (नगरीय) में उपांतरण  
रिंग रोड :-  
नगर के दक्षिण दिशा में लगभग ७.५ किलोमीटर लंबाई में ३०.० मीटर चौड़ा रिंग रोड प्रस्तावित किया गया है। यह रिंग रोड नगर के पश्चिम दिशा में खाचरौद रोड से प्रारंभ होकर, निवेश इकाई क्रमांक-२ में औद्योगिक क्षेत्र से होकर नगर के पूर्व दिशा में उज्जैन रोड से मिलेगा। इस मार्ग के निर्माण से नगर के दक्षिण दिशा में

उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्नानुसार कंडिका प्रतिस्थापित की जाना प्रस्तावित है :-

रिंग रोड :-

नगर के दक्षिण दिशा में लगभग 7.5 किलोमीटर लंबाई में 30.0 मीटर चौड़ा रिंग रोड प्रस्तावित किया गया है। यह रिंग रोड दक्षिण दिशा में चंबल नदी से गैसिंग तालाब के सामने से प्रारंभ होकर औद्योगिक क्षेत्र से होकर नगर के पूर्व दिशा में उज्जैन रोड से मिलेगा। उक्त रिंग रोड चंबल नदी के उस पार निवेश क्षेत्र के बाहर स्थित नयन ग्राम से खाचरौद मार्ग को जोड़ने वाले वर्तमान मार्ग तक प्रस्तावित किया जाता है।

3. कंडिका क्रमांक 6.14 (6) के अंत में निम्नानुसार वाक्य अन्तःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है:- तालाबो के फुल टैंक लेवल (FTL) से 30.0 मीटर भूमि आमोद-प्रमोद के अंतर्गत हरित क्षेत्र हेतु प्रस्तावित की जाती है।
4. सारणी 6-सा-15 के अनुक्रमांक-4 "सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक" भूमि उपयोग अंतर्गत कॉलम-4 में सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत भूमि उपयोगों के अंत में निम्न भूमि उपयोग परिसर अन्तःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-  
- गैर प्रदूषणकारी उद्योग।
5. सारणी 6-सा-15 के अनुक्रमांक-7 "कृषि" भूमि उपयोग अंतर्गत कॉलम-4 में सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत भूमि उपयोगों के अंत में निम्न भूमि उपयोग परिसर अन्तःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-  
- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी उद्योग, गैर प्रदूषणकारी उद्योग, कृषि पर्यटन सुविधा - कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाएँ, अस्तबल, कला प्रदर्शनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर।

अतः उक्त अधिनियम की धारा-19 की उपधारा-2 के अधीन राज्य सरकार उपांतरण के अधीन राज्य सरकार उपांतरण के प्रारूप को सर्व साधारण के अवलोकनार्थ प्रकाशित करती है, उपांतरणों के प्रारूप का विवरण बेवसाईड [www.mptownplan.nic.in](http://www.mptownplan.nic.in) तथा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय उज्जैन के कार्यालय में, इस सूचना के स्थानीय दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों में प्रकाशित होने की तिथि से, कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेगी।

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उपरोक्त प्रस्तावित उपांतरणों के संबंध में यदि कोई आपत्ति/सुझाव हो तो उसे अवर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास, मंत्रालय भोपाल में लिखित रूप से सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस की कालावधि में प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(सी.क.साधव)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन